O/o. E.D. (E.ITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 624
Date 16 MAY 2024
Addl.CE
SE
EE

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एन :– U40108CT2003SGC015820
कार्यालय :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.कं. / 07 / 2024 / 2922 रायपुर, दिनांक 15 MAY 2024
(अपील प्र.कं. 07 / 2024)

श्री कृपाराम सक्सेना अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक ......15/05/2024.................को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना, चांपा ने यह अपील वांछित जानकारी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है का लेख करते हुए जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज	अपीलार्थी द्वारा आवेदन कमांक पी / 89 दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से 03 बिन्दुओं में निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज चाही गई है। (1) उस दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दिलाए जिसमें कृपाराम सक्सेना परीक्षण सहायक एक के स्मरण सह प्रार्थना पत्र कं. पी / 44 दिनांक 31.01.2024 में प्रबंध निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेख है। (2) उस नियमों की सत्यापित प्रति दिलाए जिसके तहत कृपाराम सक्सेना परीक्षण सहायक एक के अभ्यावेदन दिनांक 05.09.2021 में वर्षो बाद भी अंतिम निर्णय देने मानव संसाधन सक्षम नहीं है। (3) गलत प्रमोशन को निरस्त कर सही प्रमोशन देने एवं वरिष्ठता सूची सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय जारी करने, कराने में मानव संसाधन को कितने वर्षो का समय चाहिए कि जानकारी दिलाएँ।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जन सूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन के संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। जान बुझकर सेक्शन 7(1) का अवहेलना किया गया है। अतएव न्याय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–

		26.04.2024	उक्त अपील सुनवाई तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2024 को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। चूंकि उत्तरवार्दी जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित बिन्दुवार जानकारी / दस्तावेज 18 पृष्ठों में स्पीड–पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी को वांछित बिन्दुवार दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अपील में पुनः सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा अपील तर्क / कथन :–		अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–तीन, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(4)(5) के अनुसार सहायता ली गई। तत्संबंध में संबंधित प्रभाग द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी / दस्तावेज कुल 18 छाया पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर पत्र कमांक 1739 दिनांक 19.03.2024 को (स्पीड–पोस्ट) के माध्यम से दिये गये पते पर सूचित किया गया है कि वांछित दस्तावेज कुल 18 पृष्ठों में उपलब्ध है। अतः धारा 7(1) के अंतर्गत रूपये 2 / –प्रति पृष्ठ की दर से कुल रूपये 36 / –मात्र का प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 36 / –मात्र का भुगतान मनीआर्डर के माध्यम से, दर्ज प्रथम अपील अभ्यावेदन कमांक पी / 46 दिनांक 26.03.2024 के पश्चात् किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 09.04.2024 को प्राप्त हुआ है। अतएव निर्धारित अभिलेख शुल्क के प्राप्ति उपरांत अपीलार्थी को कुल 18 छाया पृष्ठों की जानकारी / दस्तावेज पत्र कमांक 2268 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील कथन तर्कसंगत नहीं है।

(3) – इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उत्तरवार्दी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर तर्क संगत कार्यवाही की गई है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत तालिका 01 में अपीलार्थी द्वारा 03 बिन्दुओं में जो जानकारी / दस्तावेज की मांग की गई है

		26.04.2024	उक्त अपील सुनवाई तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2024 को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। चूंकि उत्तरवार्दी जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज 18 पृष्ठों में स्पीड–पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी को वांछित बिन्दुवार दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अपील में पुनः सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा अपील तर्क/कथन :–		अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–तीन, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(4)(5) के अनुसार सहायता ली गई। तत्संबंध में संबंधित प्रभाग द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज कुल 18 छाया पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर पत्र क्रमांक 1739 दिनांक 19.03.2024 को (स्पीड–पोस्ट) के माध्यम से दिये गये पते पर सूचित किया गया है कि वांछित दस्तावेज कुल 18 पृष्ठों में उपलब्ध है। अतः धारा 7(1) के अंतर्गत रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से कुल रूपये 36/–मात्र का प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 36/–मात्र का भुगतान मनीआर्डर के माध्यम से, दर्ज प्रथम अपील अभ्यावेदन क्रमांक पी/46 दिनांक 26.03.2024 के पश्चात् किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 09.04.2024 को प्राप्त हुआ है। अतएव निर्धारित अभिलेख शुल्क के प्राप्ति उपरांत अपीलार्थी को कुल 18 छाया पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज पत्र क्रमांक 2268 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील कथन तर्कसंगत नहीं है।

(3) – इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उत्तरवार्दी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर तर्क संगत कार्यवाही की गई है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत तालिका 01 में अपीलार्थी द्वारा 03 बिन्दुओं में जो जानकारी/दस्तावेज की मांग की गई है

के संबंध में उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी द्वारा धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख शुल्क प्राप्त कर अपीलार्थी को कुल 18 पृष्ठों की जो जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, वह न्याय संगत है।

(4) – अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 26.03.2024 एवं अपील पक्ष हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.04.2024 में वर्णित अनुसार यह लेख है कि माननीय प्रबंध निदेशक, ट्रांस. कंपनी कार्यालय को सम्बोधित किसी भी विषयों पर प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रबंध निदेशक के अवलोकनार्थ यथोचित कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय तथा मानव संसाधन कार्यालय को विषय–वस्तु के दृष्टिगत प्रेषित की जाती है। तदनुसार संबंधित कार्यालय द्वारा ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर सूचनाधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में बार–बार यह लेख किया जाता है कि जानकारी एम. डी. से दिलॉए जो उचित नहीं है। जहॉ तक अपील का प्रश्न है प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से धारा 7(1) के अंतर्गत प्रतिलिपि शुल्क 36/–मात्र का भुगतान करने बाबत अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये पते पर स्पीड–पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया है। अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में कृत कार्यवाही उचित है।

(5) – कंड़िका 4/–टीप में उल्लेखित अपीलार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रावधानुसार कर्तव्य का निर्वहन करते हुए धारा 5(4)(5) के सहायतार्थ कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी को बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जो स्वीकार योग्य है। अतः जन सूचना अधिकारी का प्रकरण में पक्ष एवं कृत कार्यवाही न्यायसगंत होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रह जाती है। अतएव तदनुसार अपील समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

15/5/24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक – 0771–2574700

प्रतिलिपि–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, रायपुर।

(3) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) पिन– 495671

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर ।